झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

रॉंची, दिनांक– ....14.... मार्च, 2017

संख्या–4/नियुक्ति–01–03/2014 का० ....3099..../ W.P.(S) सं0– 5589/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ उप समाहर्त्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सीमित चतुर्थ बैच (अनारक्षित कोटि) में अनुशंसित श्री अनन्त कुमार झा को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान–PBII- 9300 –34,800/– ग्रेड पे – 5400 रू0– पुनरीक्षित वेतनमान Pay Matrix Level-9) में परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता के रूप में श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रॉंची में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0	नाम	रौल नं0	जन्म तिथि	गृह जिला	तृतीय वर्ग में योगदान की तिथि
1	श्री अनन्त कुमार झा, (चतुर्थ सीमित बैच)	9100385	03.02.1974	गिरिडीह	07.01.2000

(क) श्री झा झारखण्ड सरकार की सेवा में है, अतः अपने नियंत्री पदाधिकारी को विरमित करने हेतु नियुक्ति की अधिसूचना की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी/नियुक्ति पदाधिकारी, उप–समाहर्त्ता के पद पर योगदान करने हेतु 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से विरमित कर देंगे।

(ख) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि योगदान की तिथि से दो वर्षों की होगी । संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(ग) अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

(घ) अभ्यर्थी को श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रॉंची में अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान देना है। विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि के बीच योगदान नहीं देने पर विस्तृत वस्तुस्थिति के साथ विभाग में अभ्यावेदन देना है, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

(ड.) योगदान देते समय कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या– 1919 दिनांक 28.01.76 द्वारा यथा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र (प्रति संलग्न) एवं अधिसूचना संख्या– 5437 दिनांक 09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

14.3.17

(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।

कृ0पृ0उ0...

ज्ञापांक–4/नियुक्ति–01–03/2014 का॰– 3099 / राँची, दिनांक– 14 मार्च, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–4/नियुक्ति–01–03/2014 का॰– 3099 / राँची, दिनांक– 14 मार्च, 2017

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं श्री अनन्त कुमार झा, पिता– श्री शिवनन्दन झा, ग्रा0– मोहनडीह, पो0– गाण्डेय, थाना– गाण्डेय, जिला– गिरिडीह, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान से अनुरोध है कि अभ्यर्थी के योगदान संबंधी प्रतिवेदन की सूचना विभाग को भेजने की कृपा करेंगे।
2. अगर अभ्यर्थी एक माह के अन्दर योगदान नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
3. अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे चरित्र–पुस्ति के निर्माण हेतु शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ, इमेल आईडी एवं दूरभाष संख्या तथा छः पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ एक माह के अन्दर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करावें ।
4. अभ्यर्थी की चिकित्सीय जाँच श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान में योगदान के बाद चिकित्सा पर्षद से करायी जाएगी।

14.03.17

सरकार के उप सचिव।